प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 07.07.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को 02 अदद अवैध चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 599/2026 धारा 109(1) BNS व धारा बढोत्तरी 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद में वांछित अभियुक्त अमरनाथ उर्फ भोलू पुत्र स्व0 प्रेम प्रकाश कान्दू मुहल्ला तिवारी टोला (मगहर) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 07.07.2026 को 02 अदद अवैध चाकू के साथ एनएच-28 हनुमान मन्दिर, रसूलाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 01.07.2026 को तकिया बाजार के पास अमरनाथ पुत्र स्व0 प्रेम प्रकाश निवासी तकिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा लगभग 05.00 बजे शाम के करीब अपने चाचा विजय प्रकाश पुत्र स्व0 रंगीलाल निवासी तकिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के ऊपर चाकू से प्रहार कर घायल कर दिया है। । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त उपरोक्त को आज दिनाँक 07.07.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया। ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, मु0आ0 रविशंकर श्रीवास्तव व रि0का0 सत्य प्रकाश वर्मा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5264 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 लोगों को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 5264 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मगहर दुर्गा मन्दिर के पास से कालर द्वारा ट्रक और बाईक टक्कर होकर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (1.संदीप पुत्र गुलर सैनी 2.पिंकी पत्नी संदीप सा0 भेली मण्डी थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी खलीलाबाद भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी खलीलाबाद भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 पेशकार भारती, हो0गा0चा0 शिवदास।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 259 वाहनों से 2,80,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 07.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 259 वाहनों से 2,80,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

महुली पुलिस की सक्रियता से क्रैक साइबर अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को ₹5000/- की धनराशि कराई गई वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में संचालित "क्रैक साइबर क्राइम अभियान" के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर ठगी के पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु प्रभावी कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी क्रम में थाना महुली पुलिस एवं साइबर हेल्प टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी प्रयास करते हुए साइबर ठगी के एक प्रकरण में पीड़ित को ₹5000/- (पॉच हजार रुपये) की धनराशि वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी पवन कुमार पुत्र बजरंगी ग्राम महुली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 24.10.2025 को थाना महुली पर सूचना दिया गया कि उनका मोबाईल गुम हो गया, जिससे किसी व्यक्ति द्वारा यूपीआई आईडी बनाकर पैसै ट्रांसफर कर लिए गए। शिकायत प्राप्त होने पर थाना महुली पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित बैंकिंग एवं तकनीकी माध्यमों से तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गई। निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप दिनांक 07.07.2026 को पीड़ित के खाते में ₹5000/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई। धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित एवं उसके परिजनों द्वारा संतकबीरनगर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

कार्यवाही करने वाली टीम

* उ0नि0 श्री दुर्गेश पाण्डेय – थाना प्रभारी, महुली

* उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव – साइबर प्रभारी, महुली

* कांस्टेबल अंकित पटेल

* कांस्टेबल सोनू यादव

* कांस्टेबल मनोज यादव

* महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी

जनपद पुलिस की अपील

जनपद पुलिस समस्त नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, फोन कॉल, मैसेज अथवा ऑनलाइन ऑफर पर बिना सत्यापन विश्वास न करें। अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड, यूपीआई पिन अथवा अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

साइबर ठगी होने की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को 05 वर्ष साधारण कारावास की सजा व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 07.07.2026 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष की साधारण कारावास की सजा व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 21.06.2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सोना देवी पत्नी शम्भूनाथ निवासी करमाखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर अभियुक्तगण 01. संतराम पुत्र रामदेव 02. शक्तिमान पुत्र संतराम 03. सुन्दरी पुत्र संतराम 04. कुसुम पुत्र संतराम निवासीगण करमाखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी के पति शम्भूनाथ को लाठी डण्डे से मारने पीटने व इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 257/2024 धारा 323/504/506/304 भा0द0वि0 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त संतराम पुत्र रामदेव को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 323 भादवि के अपराध में 01 वर्ष साधारण कारावास की सजा, धारा 304 भादवि के अपराध में 05 वर्ष साधारण कारावास की सजा व 10,000 रुपये के जुर्माना तथा उपरोक्त जुर्माना न अदा करने पर 06 माह साधारण कारावास से दण्डित किया गया।